

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल महोदय

म०प्र० संभाग ग्वालियर म०प्र०

प्र. क्रं. /2016 निगरानी ति. - 516-I-16

श्री. जे. ए. सिंह - धा. ल. नं. 5
द्वारा आज दि. 9/2/16 को
प्रस्तुत

व. स. स. 2-16
राजस्व मंडल मंत्र, ग्वालियर

(1) रमकोबाई बेवा पत्नि जयराम सिंह
जाति लोधी आयु 75 वर्ष, व्यवसाय
ग्रहकार्य, निवासी ग्राम गढला परगना
पिपरई जिला अशोकनगर म०प्र०।

(2) सिरनाम सिंह पुत्र जयराम सिंह
जाति लोधी आयु 55 वर्ष, व्यवसाय
कृषि, निवासी ग्राम गढला परगना
पिपरई जिला अशोकनगर म०प्र०।

..... निगरानीकर्ता/अपीलार्थीगण

बनाम

(1) महेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति
जैन, निवासी ग्राम पिपरई परगना
पिपरई जिला अशोकनगर म०प्र०।

(2) रमेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति
जैन, निवासी ग्राम पिपरई परगना
पिपरई जिला अशोकनगर म०प्र०।

(3) महाराज सिंह पुत्र गनपत सिंह,
जाति लोधी निवासी ग्राम जमाखेंडी
परगना पिपरई जिला अशोकनगर

(4) फूल सिंह पुत्र गनपत सिंह,
जाति लोधी निवासी ग्राम जमाखेंडी
परगना पिपरई जिला अशोकनगर

(5) काशीबाई पत्नि कैलाश जाति
लोधी निवासी ग्राम गढला परगना
पिपरई जिला अशोकनगर म०प्र०।

(6) प्रकाश पुत्र मुल्ला जाति अहिरवार,
निवासी ग्राम ग्राम गढला परगना
पिपरई जिला अशोकनगर म०प्र०।

..... प्रतिनिगरानीकर्तागण

//निगरानी आधीन धारा 50 म०प्र० भू० रा० संहिता
1959 विरुद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी परगना पिपरई
जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रं. 31 अपील/2014-15 में
पारित आदेश दिनांक 16.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत//
माननीय महोदय,


श्री. जे. ए. सिंह - धा. ल. नं. 5
R. m. s.
09/2/18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-516-एक/16

जिला - अशोक नगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
2/4/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 12.06.2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर</u></p>	